GOVT JUNKS MEDIA COMMISSION

Govt has junked the idea of setting up a media commission. The IT Committee headed by Congress MP Shashi Tharoor had recommended setting up a media commission in Dec 2021 to look into all aspects of the 'Ethical Standards in Media Coverage'.

Information & Broadcasting (I&B) minister Anurag Thakur said that there is no need to set up a media commission at present.

"The Standing Committee on Communications and Information Technology (2021-22) in its Twenty-Seventh Report has recommended commissioning of a media

commission. The setting up of a Media Commission is not considered necessary at present," Thakur said in the Rajya Sabha.

Thakur further stated that the "government regularly holds consultations with stakeholders and utilises data/information available from various sources for policy formulation, building strategies, etc".

In December 2021, the IT Committee headed by Congress MP Shashi Tharoor had recommended setting up a media commission to look into all aspects of the 27th report titled 'Ethical Standards in Media Coverage'.

One of the recommendations in the report was establishing a Media Council which will cover print, electronic and digital media. The committee had also proposed that the self-regulatory body Press Council of India (PCI), which only has jurisdiction over print media, needs to be restructured.

As per the IT Committee, the media commission has to be a broad based body, involving experts as well as stakeholders and should be given a strict timeline to submit its report. It had also suggested that the report of the Media Commission should be placed before them within six months of the inception of media commission's work.

The MIB was also called upon by the committee to harmonise the FDI rules relating to media in such a way that the grey areas are taken care of.

It had also asked the MIB to take up the issue of paid news with Law Ministry for early implementation of the recommendation of the Law Commission to make paid news an electoral offence.



Ministry of Information and Broadcasting

सरकार द्वारा मीडिया आयोग का गठन खारिज

मीडिया आयोग के गठन के विचार को सरकार ने खारिज कर दिया है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्तक्षता वाली आईटी समिति ने दिसंबर 2021 में मीडिया में नैतिक मानकों के सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए एक मीडिया आयोग के गठन की सिफारिश की थी।

सूचना व प्रसारण मंत्री (आईएंडवी) अनुराग ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में मीडिया आयोग के गठन का कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री ठाकुर ने राज्यसभा को वताया कि 'संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति (2021–22) ने अपनी 27वीं रिपोर्ट में एक मीडिया आयोग के गठन की सिफारिश की है।लेकिन सरकार का मानना

> है कि मीडिया आयोग की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री ठाकुर ने आगे यह कहा कि 'सरकार नियमित रूप से हितधारकों के साथ परामर्श करती है और नीति निर्माण, रणनीति बनाने आदि के लिए विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध डेटा/सूचना का उपयोग करती है।'

दिसंबर 2021 में, कांग्रेस सांसद शशि

थरूर की अध्यक्षता वाली आईटी समिति ने 'मीडिया कवरेज में नैतिक मानक' शीर्षक वाली 27 वीं रिपोर्ट के सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए एक मीडिया आयोग के गठन की सिफारिश की थी।

रिपोर्ट की सिफारिशों में से एक मीडिया परिषद की स्थापना थी जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को कवर करेगी। समिति ने यह भी प्रस्ताव दिया था कि स्व-नियामक निकाय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीटीआई), जिसका केवल प्रिंट मीडिया पर अधिकार क्षेत्र है, को पुर्नगठित करने की आवश्यकता है।

आईटी समिति के अनुसार, मीडिया आयोग को एक व्यापक आधार वाला निकाय होना चाहिए, जिसमें विशेषज्ञों के साथ-साथ हितधारकों को भी शामिल किया जाना चाहिए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सख्त समय सीमा दी जानी चाहिए।इसने यह भी सुझाव दिया था कि मीडिया आयोग का काम शुरू होने के छह महीने के भीतर मीडिया आयोग की रिपोर्ट उनके सामने रखा जाना चाहिए।

समिति ने एमआईवी को मीडिया से संबंधित एफडीआई नियमों के इस तरह से सामंजस्य स्थापित करने का भी आहवान किया कि ग्रे क्षेत्रों का ध्यान रखा जाय।

इसने एमआईबी से पेड न्यूज को चुनावी अपराध बनाने के लिए विधि आयोग की सिफारिश को जल्द से जल्द लागू करने के लिए कानून मंत्रालय के साथ पेड न्यूज का मुद्दा भी उठाने को कहा था। ■